

115

राजश्री डाड / अमित शुक्ला

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (2015/00015)	नम्बर व तारीख अह्काम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-6-20	विश्वव्यापी कोरोना वायरस महामारी के कारण राजस्व/जिला बार एसोसिएशन द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन तथा पी.ओ. साहब के सेवानिवृत्त होने से पद रिक्त है। अतः पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक 27-7-20 को पेश हो।	<div style="text-align: right;"> 19 21 23 </div>
27-7-20	अपीलान्त व रैस्पोंडेंट के अभिभाषक उपस्थित। P.O. साठ बाहर पधारें हैं। अतः पत्रावली गतादेशानुसार दि. 5-10-20 को पेश हो।	
5-10-20	उभय पक्ष सपो। पीओ साठ अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक 1-12-20 को पेश हो।	
1-12-20	अपीलान्त व रैस्पोंडेंट के अभिभाषक उपस्थित। P.O. साठ बाहर पधारें हैं। अतः पत्रावली गतादेशानुसार दि. 18-1-2021 को पेश हो।	
15/12/20	<p>अपीलार्थी के अभिभाषक श्री पुष्पेंद्र सिंह द्वारा प्रस्तुत अपील विद्धो किये जाने के प्रार्थना पत्र के आधार पर पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली वास्ते तलबी प्रत्यर्थीगण हेतु दिनांक 18.01.2021 को नियत है। अपीलार्थी अभि. श्री पुष्पेंद्र सिंह उपस्थित हैं जिन्हें अपील विद्धो प्रार्थना पत्र पर सुना गया।</p> <p>अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा दिनांक 15.12.2020 को प्रार्थना पत्र वास्ते अपील विद्धो किये जाने बाबत बहस में दौरान बहस कमोवेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया गया अपील में पक्षकारों के मध्य मौतविरान व्यक्तियों समझाईश से आपसी समझौता हो जाने से इस अपील में पक्षकारों के मध्य कोई विवाद शेष नहीं रहने से प्रार्थीया/अपीलार्थीया अपील को आगे नहीं चलाना चाहती है अतएव अपील को इसी स्तर पर विद्धो करने हेतु निवेदन किया गया। अतः विद्धो का प्रार्थना पत्र रवीकार किया जाकर अपील में पक्षकारान के मध्य आपसी समझाईश से समझौता हो जाने के कारण अपील को आगे नहीं चलाने के आधार पर अपील विद्धो करने की अनुमति प्रदान की जावे।</p>	

(डॉ. वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

